उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या- 08/2018/1086ए/22-4-17-48(7)/17
लखनऊ : दिनांक- 01 फरवरी, 2018

शुद्धि-पत्र

प्रदेश की 25 कारागारों में आधुनिक पाकशाला उपकरणों तथा समुचित वेण्टीलेशन हेतु इलेक्ट्रानिक चिमनी सिस्टम स्थापित कराये जाने हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-04/2018/1086/22-4-17-48(7)/17, दिनांक-24.01.2018 के प्रस्तर-2 में अंको में अंकित धनराशि रू0 50,00,00,000/- के स्थान पर धनराशि रू0 5,00,00,000/- पढ़ा जाय।

2- कृपया शासनादेश दिनांक-24.01.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

संख्या-08/2018/1086ए(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महानिरीक्षक कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in